LL.B. VI Sem

Interpretation of statute

Topic —

External aids to the Interpretation of Statutes

20/05/2020

Dr. Nishat Jhan NAS (PG) College

Meerut

(1)

प्रश्न 12. संविधि के निर्वचन के बाह्य सहायकों की विवेचना कीजिए।
Discuss the 'external aids to the intertation of statues'.
अधिनियम का अर्थ करने की बाहरी सहायतायें क्या हैं?
What are the external aids to the construction of statute. (OR)
संविधि के अर्थ में प्रयोज्यता के प्रश्न का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए– (1) ऐतिहासिक विन्यास, (2) संसदीय इतिहास, (3) अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय: (4) अधिनियम के उद्देश्य तथा कारण का कथन (5) शब्दकोश तथा पाठ्य–पुस्तकें: (6) सरकारी प्रकाशन तथा रिपोर्ट: (7) विदेशी विनिश्चय: (6) न्यायिक आचरण तथा अभिहस्तान्तरण।

Write a short note on each of the follwing with reference to question of their applicability in the construction of a statute: (1) Historical Setting, (2) Parliamentary History, (3) International Concentions, (4) Statements of Object and Reasons of the Act, (5) Dictionaries and Text Books, (6) Goverment Publication and Reprts, (7) Foreign decisions and (9) Judicial practice and Conveyancing.

उतर – **अर्थ करने की बाह्य सहायताये**

निर्वचन या अर्थ करने की बाह्य सहायतायें निर्वचन या अर्थ करने का मुख्य नियम अधिनियम में प्रयुक्त शब्दों से विधायिका के आशय को प्राप्त करना है। कभी–कभी बाह्य या ऐतिहासिक तथ्यों में जिनका प्राय: आश्रय लिया जाता है, अग्रलिखित का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है–

1. **ऐतिहासिक विन्यास**–अधिनियम के ऐतिहासिक विन्यास (क्रम) का अर्थ है घटनाओं का क्रम, जो उत्पन्न करते हैं। न्यायालय ऐसे बाह्य या ऐतिहासिक तथ्य पर विचार करने का अधिकार रखता है जो अधिनियम की विषय–वस्तु को समझने के लिए आवश्यक है या चतुर्दिक पस्थितियों पर ध्यान देना आवश्यक है। एक व्याख्याकार समय के ऐसे तथ्यों या घटनाओं पर विचार कर सकता है जो उसे यह विचार करने में सहायता दे सकते हैं कि अधिनियम का उद्देश्य है कि कानून को बदल दिया जाये अथवा इसे वास्तव में उस स्थान पर छोड़ दिया जाये जहाँ कि यह पहले स्थित था। भारत के फेडरल कोर्ट ने किंग **एम्परर बनाम बनारसी लाल (AIR 1943 F.C. 36)** में यह धारण किया है कि विधान का इतिहास तथा तथ्य जो अधिनियमन को उत्पन्न करते हैं, अधिनियम के शब्दार्थ की व्याख्या करने के लिए उपयोगी रूप में नियोजित कर सकते हैं यद्यपि वे निश्चायक बहस का विषय नहीं है।

किसी निर्बन्धात्मक अधिनियम का निर्वचन करते समय न केवल उसके पिछलें इतिहास पर विचार किया जा सकता है, बल्कि इस पर विचार किया जा सकता है कि उसमें उद्गम की विधायिका ने उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया। **(जॉन वल्लवट्टम बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 2003 एस. सी 2902)**

2. **संसदीय इतिहास** – पहले यह प्रथा थी कि विधान के निर्वचन के लिए संसदीय इतिहास की सहायता ली जाती थी। परन्तु वर्तमान में इसे अपवर्जित कर दिया गया है। अर्थात् अब इसका प्रयोग संविधि के निर्वचन में नहीं किया जाता है।

इलाहाबाद बैंक बनाम केनरा बैंक [(2000) 4 SCC 406] के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि जहां दो विशेष विधियों में मतभेद हो वहां बाद वाली विधि लागू होगी।

3. **अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय**–अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अर्थ है बहुसंख्यक राष्ट्रों की सम्मति द्वारा स्थापित आचरण। यह आवश्यक नहीं है कि देशी विधान में प्रयुक्त किये गये शब्दों का अर्थ अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के प्रकाश में किया जाया करे, यदि ऐसी देशी विधान किसी संदिग्धता का वहन नहीं करते हैं किन्तु यदि देशी विधान की शब्दावली बहुत स्पष्ट नहीं है तो अधिनियम में संदिग्धताओं और अस्पष्टताओं का हल करने के लिए अभिसमयों का आश्रय लेना ग्राह्य है।

विशाखा बनाम राजस्थान (ए. आई. आर. 1997) में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ हो रहे लैंगिक उत्पीड़न को रोकने हेतु उच्चतम न्यायालय ने अनेक मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी किये। ऐसा करते समय न्यायालय ने **(Convention on the Elimination of all forms of Discrimination against Woman)** के कुछ अनुच्छेदों को दृष्टिगत रखा। अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ प्रसंविदायें तथा अभिसमय, भले ही हमारी राष्ट्रीय विधि न हो, फिर भी इस बात पर ध्यान रखते हुये कि भारत इनका पक्षकार है, न्यायालय उनका अनुसरण कर सकता है। **(प्रताप सिंह बनाम झारखण्ड राज्य, (ए. आई. आर. 2005 एस. सी. 2731)**

4. **अधिनियम के उद्देश्य तथा कारण का कथन** विधेयक से संलग्न उद्देश्य और कारणों के कथन के सम्बन्ध में यह धारित किया गया है कि ये अधिनियम का अर्थ करने के लिए या अधिनियम में किसी विशेष शब्द के अर्थ का निश्चय करने के लिए एक सहायता के रूप में प्रयोग नहीं किये जा सकते। उद्देश्य और कारणों के कथन सीमित प्रयोजनों के लिए होते हैं। क्योंकि यह केवल यह व्याख्या करना चाहते हैं कि किन कारणों ने प्रस्तावक को सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया और किन उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उसने प्रयत्न किया। यह प्रकट है कि ये उद्देश्य और कारणों का मूल कथन असंगत हो सकता है अथवा केवल कुछ सीमा तक सुसंगत हो सकता है।

बेलारपुर इण्डस्ट्रीज लि. बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (AIR 1997 Delhi 1) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी विधि का निर्वचन करते समय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिये जिनमें वह विधि बनाई गई है।

उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड कं. लि. बनाम यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया [(2000) 4SCC 120] के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश

12 के नियम 6 का उद्देश्य यह है कि जहां क्लेम स्वीकार कर लिया गया हो वहां न्यायालय को क्षेत्राधिकार है कि वह उस स्वीकृति के अनुसार डिक्री को पारित करे। वहां। उच्चतम न्यायालय अनुचित ढंग से उसका उद्देश्य या कारण जिससे कि शीघ्रतर निर्णय होता हैं, को निम्रतर नहीं कर सकता है।

5. शब्दकोश तथा पाठ्य–पुस्तकें–शब्दकोष किसी शब्द के कई अर्थों को स्पष्ट करता है इसीलिए सामान्यत: उन अर्थों की जानकारी के लिए शब्दकोश सहायक है। अत: किसी शब्द के साधारण अर्थ को जानने के लिए न्यायालय शब्दकोष का सहयोग ले सकता है। परन्तु ऐसा करने के लिए न्यायालय को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है क्योकिं यह आवश्यक नहीं हैं कि कानून के विशिष्ट सन्दर्भ में उन अर्थों में से कोई अर्थ वास्तव में उचित ही हो। इसीलिए कई बार न्यायालय बहुत से अर्थों में से कोई अर्थ ठीक मानकर चुन लेता है, और कई बार कानून के सन्दर्भ को देखते हुए न्यायालय अर्थों को अस्वीकार भी कर देता है। प्रत्येक परिस्थिति में न्यायालय को विशिष्ट कानून के उद्देश्य, ध्येय व सन्दर्भ का ध्यान रखना पड़ता है।

के. बी. रोहामारे बनाम शंकर राव (AIR 1995 S.C. 575) में प्रश्न यह था कि क्या राज्य सरकार द्वारा गठित चीन उद्योग के मजदूरी बोर्ड का सदस्य एक लाभ का पद होने के कारण वह सदस्य चुनाव लड़ने के अयोग्य है क्योंकि, उसे ''मानदेय'' प्राप्त होता है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यद्यपि ''मानदेय'' एक प्रकार की फीस है तथापि इसे वेतन नहीं कहा जा सकता। सदस्य को जो मानदेय और प्रतिदिन भत्ता मिलता है उससे उसके प्रतिदिन के खर्च भी पूरे नहीं होते और यह मजदूरी नहीं है अत: वह सदस्य पद में होने के बावजूद लाभ का पद धारण किए हुए नहीं है।

किसी अधिनियमिति के वास्तविक अर्थ को जानने के लिए न्यायालय पाठ्य–पुस्तकों का सहयोग ले सकता है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि उनमें दी गई राय न्यायालय की राय भी हो। पाठ्य पुस्तकों में दी गई राय का न्यायालय स्वीकृत किए जाने के तथा अस्वीकार किए जाने के, दोनों प्रकार के ही, दृष्टान्त उपलब्ध हैं। मनु, याज्ञवल्क्य, विज्ञानेश्वर, जीमूतवाहन तथा कौटिल्य आदि को न्यायालय के द्वारा अनेक बार उद्धृत किया गया तथा उनके विचार को मान्यता दी गई है। मुल्ला की पुस्तक भी इसी प्रकार सहायक सिद्ध होती रही है।

आर. डी. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा [(2000) 7 SCC 264] के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि जहां अधिनियम किसी शब्द को परिभाषित नहीं करता है वहां यह उपधारित किया जाना चाहिये कि उसका प्रयोग डिक्शनरी के अर्थ के अनुसार होगा।

6. सरकारी प्रकाशन तथा रिपोर्ट विधेयक प्रस्तुत किये जाने के समय क्या परिस्थितियतॉ थी अथवा क्या ऐतिहासिक तथ्य थे, इसे जानने के लिए न्यायालयों द्वारा सरकारी प्रकाशनों तथा रिपोर्टों का निर्देश किया जाता है। साधारणतया इन्हें दो समूहों में बॉटा जाता है–

(1) विधायन के पहले आयोगों और समितियों के प्रतिवेदन की रिपोर्टें, तथा
(2) अन्य प्रकाशन (अभिलेख) आदि।

अधिनियम के पूर्व आयोगों की रिपोर्टें न्यायालय द्वारा अक्सर उस आरिष्टि या
दोष का जिसका उपचार किया जाना आशयित है, का पता लगाने के लिए देखी जाती
लेकिन अधिनियम का अर्थ करने के लिए इन्हें निर्भर होने योग्य प्राधिकार नहीं माना
चाहिए।

अन्य अभिलेखों के सम्बन्ध में नियम बहुत स्पष्ट है। यह तब तक प्रकाश में नहीं
जब तक कि अभिलेख अधिनियम में प्रकट रूप से निर्देश नहीं किया गया है। न्याय
विधयेक से संलग्न व्याख्यात्मक स्मृतिपत्रों का प्रयोग करने के प्रतिकूल हैं।

7. विदेशी विनिश्चय–अधिनियम का अर्थ करने में विदेशी विनिश्चयों का
कानून के इतिहास में असामान्य बात नहीं है। वास्तव में भारत में अधिकांश अधिनिय
संविधियों का ब्रिटिश उद्गम है और स्वाधीनता–प्राप्ति के पूर्व काल में बहुत से अधि
किये गये जिनमें बहुत से कानून अंग्रेजी पद्धति पर बनाये गये। अतः हमारे न्यायालय
अंग्रेजी अधिनियमों का भारत में वैसे ही मामलों का विनिश्चय करने में जो हवाला दिया
रहा है, वह एकदम संगत जान पड़ता है।

8. न्यायिक आचरण तथा अभिहस्तान्तरण–न्यायिक आचरण तथा अभिहस्त
को सामान्यः निर्वचन का सहयोगी नहीं माना जाता है परन्तु न्यायालय कभी–कभी
प्रयोग करते हैं।

माणिक चन्द बनाम राज्य (AIR 1958 S.C. 324) में कलकत्ता उच्च न्या
ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धाराओं 207 व 208 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "
रिपोर्ट" का निर्वचन करते हुए अभिनिर्धारित किया कि "पुलिस रिपोर्ट" का अ
रिपोर्ट से है जिसे संहिता की धारा 173 के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी ने बनाया ह
कि प्रशासकीय प्रथा मानती है।